न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 26/2015 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00069

उनवान

बुद्धि पुत्र कजौडी जाति खटीक निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राकेश पुत्र सोहनलाल जाति खटीक निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, भुसावर दिनांक 11.6.2015 उनवानी बुद्धि बनाम राकेश मु0न0 20/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 23.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भुसावर के आदेश दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1528, 1529, 1530 वाके कस्बा भुसावर तहसील भुसावर में स्थित है जिसके संपूर्ण हिस्से का अपीलाण्ट/वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। रैस्पो0/प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार कभी नहीं रहा है एवं ना ही अब है। रैस्पो0/प्रतिवादी के पिता स्व0 सोहनलाल राजस्व विभाग में गिरदावर होने की वजह से

आ0 खसरा नम्बर 1527 की खातेदारी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम करवा ली थी लेकिन ना तो रैस्पो0/प्रतिवादी और ना ही इसके किसी भी पूर्वज का उपरोक्त आराजी पर कोई भौतिक कब्जा विद्यमान रहा है। रैस्पो0/प्रतिवादी अपनी उक्त आराजी की आड में अपीलाण्ट/वादी की आराजी को हडपना चाहते हैं। अगर रैस्पो0/प्रतिवादी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/वादी को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन एवं अपरमित क्षति के सिद्धान्तो की कोई विवेचना नहीं की गयी है एवं नया तथ्य पैमाईश का लिखकर गलत रूप से अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 1528, 1529, 1530 वाके कस्बा भुसावर का खातेदार काश्तकार काबिज है और अपीलाण्ट की मैड डौल बनी हुई हैं। जिससे रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1994 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, रैस्पो0 को उनके कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने की पाबन्दी आयद करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनरूप सही है। रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की आराजी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अपीलाण्ट की आराजी से सटी हुई रैस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1527 है, जिसका कुछ भाग सडक में चला गया है। रैस्पो0 को अन्देशा है कि कुछ भाग अपीलाण्ट द्वारा डोल–मैड तोडकर अपनी खातेदारी की आराजी में मिला लिया है, उक्त शंका को दूर करने हेतु रैस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1527 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश कराना रैस्पो0 का हक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रकरण के निस्तारण हेतु सीमाज्ञान को ही उचित माना है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि, आराजी खसरा नम्बर 1528, 1529, 1530 अपीलाण्ट/प्रार्थी के नाम व 1527 अप्रार्थी/रैस्पो0 के नाम अंकित है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रार्थी एवं रैस्पो0/अप्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान् की सीमा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगी होने के कारण डौल–मैड का विवाद है। निश्चित रूप से जैसा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित किया है कि इस विवाद का हल पैमाईश हो सकता है। परन्तु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर, भुसावर के निर्णय दिनांक 11.06.2015 निरस्त किये जाकर आदेश हैं कि रैस्पो0, अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं करें। परन्तु पक्षकार पैमाईश कराने को स्वतन्त्र होंगें एवं पैमाईश के अनुसार यथा आवश्यक, पक्षकार अपनी मैडो को संधारने पर कोई स्थगन नहीं रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official